भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 नवम्बर, 2010

संख्या लैज० 28/2010.—दि हरियाणा गौ-सेवा आयोग ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 नवम्बर, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2010 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2010

राज्य में गाय के परिरक्षण तथा कल्याण के लिए, प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु गौ-सेवा आयोग स्थापित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1\. (1) यह अधिनियम हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा गौ–सेवा आयोग;

(ख) ''गाय'' में सम्मिलित है, साण्ड, बैल, वृषभ, युवा बछड़ी तथा बछड़ा या बछड़ी;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) ''संस्था'' से अभिप्राय है, गाय कल्याण में लगी तथा गाय रखने, उसके प्रजनन, पालन तथा सम्पोषण के प्रयोजन के लिए या दुर्बल, वृद्ध तथा रोगी गाय की प्राप्ति, संरक्षण, देखभाल, प्रबन्धन तथा उपचार के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई धर्मार्थ संस्था या गैर–सरकारी संगठन तथा इसमें शामिल है गौसदन, गौशाला, पिंजरपोल, गौ–अनुसंधान–विज्ञान–संवर्धन केन्द्र, गौरक्षा संस्था तथा तत्समय लागू किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत या अन्यथा उनके फैडरेशन या यूनियन;

(ङ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें शामिल है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

(च) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

स्थापना और निगमन।

3. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हरियाणा गौ–सेवा आयोग के रूप में ज्ञात कोई निकाय स्थापित करेगी।

(2) आयोग का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर होगी और उसे चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति खरीदने, धारण करने तथा व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

गठन।

4. (1) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

I. सरकारी सदस्य :–

(क) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ख) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ग) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(घ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ङ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(च) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(छ) पुलिस महानिदेशक या उसका प्रतिनिधि जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो;

(ज) महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग;

(झ) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से एक प्रतिनिधि।

II. गैर–सरकारी सदस्य :–

सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित बारह गैर सरकारी सदस्य।

(2) गैर–सरकारी सदस्य सरकार द्वारा गाय के कल्याण में लगे निम्नलिखित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :–

(i) राज्य में पंजीकृत हरियाणा राज्य गौशाला संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे छह गैर–सरकारी सदस्य;

(ii) गाय के कल्याण, संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए निःस्वार्थ कार्य कर रहे छह प्रतिष्ठित लोकोपकारी।

(3) प्रत्येक नियुक्ति ऐसी तिथि से प्रभावी होगी जिसको यह राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

5. (1) सरकार यथाविहित ऐसी अर्हताएं रखने वाले को आयोग का सचिव नियुक्त करेगी। सचिव।

(2) सचिव यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

6. (1) प्रत्येक गैर–सरकारी सदस्य ऐसी तिथि, जिसको वह नियुक्त किया गया है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें।

(2) गैर–सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

7. गैर–सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित करते हुए लिखित में अपने हस्ताक्षराधीन नोटिस देकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है। त्याग-पत्र।

8. (1) सरकार गैर–सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो उसकी राय में, – गैर-सरकारी सदस्यों का हटाया जाना।

(क) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ख) नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है; या

(ग) आयोग के साथ, द्वारा या की ओर से किसी अस्तित्वयुक्त संविदा या नियोजन में स्वयं या अपने परिवार के सदस्य या किसी भागीदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता है; या

(घ) किसी ऐसी निगमित कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक, सचिव, सदस्य या अवैतनिक अधिकारी है जो आयोग के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता है ; या

(ङ) विकृतचित्त हो गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(च) अवकाश लिए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(छ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना आयोग के हितों के लिए हानिकर है ; या

(ज) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है ।

(2) सरकार किसी गैर–सरकारी सदस्य को उसके विरुद्ध किसी जांच के लंबित होने तक निलंबित कर सकती है:

परन्तु किसी भी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

निरर्हताएं।

9. कोई भी व्यक्ति गैर–सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है ;

(घ) नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है ;

(ङ) कदाचार के लिए सरकार की सेवा से पदच्युत किया गया है तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है ; या

(च) अनुन्मोचित दिवालिया है ।

10. किसी गैर–सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र या निरर्हता की दशा में या उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व कार्य करने में उसके असमर्थ होने पर, आकस्मिक रिक्ति ऐसे पद में हुई समझी जाएगी तथा ऐसी रिक्ति यथासंभव शीघ्र सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। आकस्मिक रिक्ति।

11. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या इसके गठन में कोई त्रुटि है। रिक्ति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

12. आयोग के गैर–सरकारी सदस्यों को ऐसे भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो विहित किए जाएं। गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते।

13. (1) आयोग प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा । बैठकें।

(2) अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, बैठक बुला सकता है ।

(3) बैठक की कार्यवाहियां सरकार को प्रेषित की जाएंगी ।

(4) कम से कम तीन सरकारी तथा कम से कम तीन गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर सात सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

14. आयोग के कृत्य निम्नलिखित होंगे– कृत्य।

(i) गाय के वध तथा/या अत्याचार के प्रतिषेध के संबंध में विधियों के उचित लागूकरण के लिए कार्य करने तथा उन्हें अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्यमान विधियों में सुधार का सुझाव देने ;

(ii) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना ;

(iii) गाय के गोबर तथा मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करना ताकि भूमि उर्वरकता, बायो–ऊर्जा, बायो–गैस, बायो–खाद, बायो–नाशक जीव तथा घरेलू उपयोग सहित कृषि के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने ;

(iv) गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक पालन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं के कार्य तथा कृत्यों का पर्यवेक्षण करने तथा सहायता करने ;

(v) आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों तथा सम्पत्तियों के उपयोग के संबंध में संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने तथा समुचित कार्रवाई के लिए विशिष्ट दृष्टान्तों को सरकार के ध्यान में लाने ;

(vi) गोचर–भूमि या चरागाह भूमि विकसित करना तथा चरागाह तथा गोचरों को विकसित करने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं या अन्य निकायों चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक से सहयुक्त करना ;

(vii) योग्य संस्थाओं, जो आयोग की राय में गाय के कल्याण में लगी हैं, जो गैर–अक्षय ऊर्जा जैसा कि गाय के गोबर तथा मूत्र से बायो–गैस तथा वैज्ञानिक जांच या परीक्षणों के द्वारा अन्य लाभकर उपयोगों के प्रचार के लिए भी है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ;

(viii) आर्थिक लाभ जो गाय से प्राप्त किए जा सकते हैं के बारे में लोगों को शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए अभियान चलाना तथा ऐसी जागरूकता जो गाय के लिए दया की शिक्षा का प्रचार भी करे, को उन्नत करने के लिए प्रतियोगिताओं का प्रबन्धन करना तथा ऐसी सूचना विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाना ;

(ix) अकाल, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र में गाय के उपयोग के लिए चारा प्राप्त करना तथा उपलब्ध करवाना तथा प्रभावित क्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनों के लिए शिविर स्थापित करने तथा ऐसे प्रभावित क्षेत्र से गाय के प्रवास या निर्यात के निवारण के लिए कदम उठाना तथा ऐसे क्षेत्र से वध के लिए निर्यात में आसक्त या प्रयासरत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सुझाव देना ;

(x) गाय के प्रजनन तथा पालन–पोषण, जैव खाद, बायो–गैस इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में लगी राज्य/केन्द्रीय सरकार के किसी पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या विभागों या संगठनों के सहयोग से कार्य करना जो औषधीय प्रयोजनों के लिए गाय के जैव जीवी उत्पादों पर अनुसंधान आयोजित करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा आयोजित चिकित्सा–शास्त्र की भारतीय प्रणाली की ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं के साथ सहयोग करना भी है ;

(xi) चारा प्राप्त करने के लिए तथा उन स्थानों, जहां चारा तथा पानी की प्रचूरता आसानी से उपलब्ध है, पर विद्यमान संस्थाओं को स्थानान्तरित करने में संस्थाओं की सहायता करना ;

(xii) जैव खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को उन्नत करना तथा रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैव खाद में गाय के गोबर या मूत्र के उपयोग के लिए प्रेरक स्कीमों सहित उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना ;

(xiii) चारा विकास स्कीमों का उत्तरदायित्त्व लेना तथा मुफ्त घास–फूस रीपर उपलब्ध करवाना ;

(xiv) तत्समय लागू किसी विधि के अधीन सम्यक् प्राधिकार के बाद सम्बद्ध स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकरणों या न्यायालयों से परित्यक्त, आवारा, जब्त या अभिग्रहण गाय को अभिरक्षा में लेना तथा उन्हें सुरक्षित रखना ;

(xv) गाय के बायो–गैस उत्पाद पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर / शिल्पी उद्योगों की स्थापना के लिए स्कीमें तैयार करना तथा प्रस्तुत करना जो विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक रूप से मृत गाय की चर्म, खोलों, हड्डियों पर भी आधारित हैं ;

(xvi) गाय की देशी नस्लों इसके दूध तथा सहबद्ध डेयरी उत्पादों तथा बैल ऊर्जा के महत्त्व के बारे में जागरूकता सर्जित करना ;

(xvii) विभिन्न प्रतियोगिताओं / घटनाओं / मेले आयोजित करते हुए तथा वित्तीय रूप से विजेताओं को उपयुक्त ईनाम देते हुए दूध बढ़ोतरी के लिये गाय की नस्ल विकास में लगी संस्थाओं में उपयोगी प्रतियोगिता उन्नत करना।

अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य।

15. अध्यक्ष यथा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा।

उपाध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य।

16. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यथा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा।

कार्यालय।

17. आयोग, यथाशीघ्र, इसकी स्थापना तथा निगमन के बाद, ऐसे स्थान पर अपना मुख्यालय रखेगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

18. आयोग सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अध्यधीन, ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जो वह इसके कृत्यों को दक्षतापूर्ण करने के लिए आवश्यक समझे।

वेतन तथा सेवा की शर्तें।

19. आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

निधि।

20. आयोग की निधि सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों, इसको किए गए दानों, उपहारों तथा वसीयतों से मिलकर बनेगी।

निधि तथा सम्पत्ति का लागूकरण।

21. (1) आयोग की सभी सम्पत्तियां, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां यथाविहित प्रयोजनों के लिए इस द्वारा रखी तथा प्रयुक्त की जाएंगी।

(2) वित्तीय विवक्षा वाला कोई भी प्रस्ताव आयोग द्वारा तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे प्रस्ताव की सम्यक् रूप से गठित वित्तीय समिति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, जांच नहीं की जाती है।

बजट। **22.** (1) आयोग ऐसी तिथि, जो विहित की जाये, को प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शित करने वाला आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करेगा तथा सरकार को विहित प्ररूप में भेजेगा।

(2) सरकार उसे प्रस्तुत किये गये बजट को ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हों, जो वह समुचित समझे, स्वींकृत कर सकती है।

(3) जब बजट सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है तो आयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है के लिए निधि में से समुचित राशियों के लिए सक्षम होगा।

अभिलेख मंगवाने की शक्ति। **23.** आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने के लिए किसी संस्था का कोई अभिलेख या रिपोर्ट मंगवा सकता है।

लेखा तथा लेखा-परीक्षा। **24.** (1) आयोग समुचित लेखों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा तथा लेखों की ऐसे प्ररूप में रिपोर्ट तैयार करेगा, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखों की महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखा–परीक्षा की जायेगी, जो उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये तथा ऐसी लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को भुगतान योग्य होगा।

वार्षिक रिपोर्ट। **25.** आयोग पूर्व वित्त वर्ष के अपने क्रियाकलापों के पूर्ण लेखे देने वाली प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट यथाविहित ऐसी रीति में तथा ऐसी तिथि तक तैयार करेगी तथा सरकार को इसे भेजेगी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई। **26.** धारा 25 के अधीन की गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह समुचित समझे।

सरकार की रिपोर्ट, विवरणियां इत्यादि मंगवाने की शक्ति। **27.** सरकार आयोग से ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों तथा लेखों के विवरण मंगवा सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

सरकार के निदेश। **28.** (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग नीति के प्रश्न पर ऐसे निदेशों के अनुसार कार्य करेगा, जो सरकार द्वारा उसे दिये जायें।

(2) यदि सरकार तथा आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना। **29.** आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनके द्वारा कार्य किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

30. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा ऐसी कोई बात कर सकती है, जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

31. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

32. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

आर० सी० बंसल,
विधि सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

47942—L.R.—H.G.P., Chd.